

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

कमांक 16069/कय /2019

दिनांक 01/10/19

संशोधन पत्र (CORRIGENDUM)

इस कार्यालय की निविदा सूचना कमांक 14609/कय/2019 दिनांक 19.09.19 ई-टेण्डर आई. डी. 2019_DME_52948_1 द्वारा आमंत्रित निविदा की शर्तों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

शर्त क.	निविदा अनुसार	संशोधन उपरान्त
20	निविदाकर्ता द्वारा कय आदेश दिनांक से जीवनरक्षक दवाईयों को 06 घण्टे एवं अन्य दवाईयों को 24 घंटे के अन्दर प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा, प्रदाय नही करने पर आपका कय आदेश स्वत ही निरस्त हो जावेगा, तथा द्वितीय न्यूनतम दर से कय कर जो भी दर में अन्तर आयेगा उसे आपके देयक/प्रतिभूति राशि से काटा जायेगा। यदि फर्म के द्वारा कोई भी औषधी एवं सामग्री 24 घंटे से अधिक समय में प्रदाय नही की जावेगी ओर मरीज हेतु अति आवश्यक दवाईया होगी तो उक्त औषधी मरीज को लगने वाली मात्रा अनुसार न्यूनतम अन्य निविदादाता से ली जाकर उसके अंतर की राशि प्रथम निविदादाता से वसुली जावेगी।	कय आदेश जिस दिनांक से जारी होगा उसी या अगले दिनांक को कुल कय आदेश का 25 प्रतिशत प्रदाय करना अनिवार्य होगा। शेष 75 प्रतिशत कय आदेश की संख्या हेतु 5 दिन का समय दिया जा सकेगा।
37	दवाई निर्माता कंपनी एक दवाई हेतु एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर को अधिकृत नहीं कर सकता है।	शर्त को मूल निविदा की नियम एवं शर्तों से विलोपित किया जाता है।

निविदा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


अधिष्ठाता

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर